

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश**

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-6 / वरीयता / 2015 / 479

भोपाल, दिनांक 15.04.2015

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (गैस राहत सहित),
मध्य प्रदेश।

समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा अधिकारियों (द्वितीय श्रेणी) की दिनांक 01.04.2015 की स्थिति दर्शाने वाली अनंतिम पदक्रम सूची में नाम सम्मिलित करने/संशोधन के संबंध में।

संदर्भ:- क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-6 / वरीयता / 2014 / 2093, दिनांक 12.12.2014।

==0==

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा चिकित्सा अधिकारियों (द्वितीय श्रेणी) की दिनांक 01.04.2014 की स्थिति दर्शाने वाली अंतिम पदक्रम सूची ई-मेल द्वारा भी भेजी गई है तथा विभागीय www.health.mp.gov.in पर भी उपलब्ध करायी गई है।

उक्त सूची में संशोधन, नाम परिवर्तन तथा नाम जोड़ने के संबंध में अभ्यावेदन चिकित्सा अधिकारियों से सीधे प्राप्त हो रहे या अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा अग्रेषित किये जा रहे हैं, परन्तु उक्त अभ्यावेदनों के साथ जारी की गई उक्त सूची में संशोधन, नाम परिवर्तन तथा नाम जोड़ने के संबंध में वांछित अभिलेख प्राप्त न होने के कारण उनकी वरीयता का निर्धारण करने, नाम जोड़ने, संशोधन के संबंध में कठिनाई होती है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उक्त चिकित्सा अधिकारी वर्तमान में कार्यरत है अथवा नहीं।

चिकित्सा अधिकारियों के नामों को वरीयता सूची में सम्मिलित करने हेतु निम्नानुसार जानकारी प्रमाणित कर स्थापना लिपिक को तालिका में उल्लेखित दिनांक को अपर संचालक (प्रशासन) के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें :-

01. चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश की प्रति।
02. परिवीक्षा अवधि समाप्ति के आदेश की प्रति।
03. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आज दिनांक तक सेवा अवधि का सेवा पुस्तिका के आधार पर प्रमाणीकरण (यदि अकार्य दिवस मान्य किया गया हो तो उसके आदेश की प्रति।)
04. वरीयता सूची के निर्धारित 16 कॉलम के प्रपत्र को भर कर प्रमाणित कर प्रेषित करें।
05. यदि स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमाधारी है तो उसके डिग्री/डिप्लोमा तथा मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल में पंजीयन की छायाप्रति एवं सेवा पुस्तिका में प्रविष्टी कर उसके पृष्ठ की सत्यापित प्रति।

बेटी बचाओ – बेटी है तो कल है

क्र	संभाग का नाम	अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का दिनांक	जिलों के नाम
1	भोपाल संभाग	22.04.2015	भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ, विदिशा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, गैस राहत भोपाल
2	इन्दौर संभाग	23.04.2015	इन्दौर, धार, खण्डवा, बरुहानुपर, बडवानी, खरगौन, झाबुआ, अलीराजपुर
3	उज्जैन संभाग	24.04.2015	उज्जैन, देवास, मन्दसौर, रतलाम, शाजापुर, नीमच, आगर
4	सागर संभाग	25.04.2015	सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ, पन्ना
5	जबलपुर संभाग	27.04.2015	जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिन्दवाडा, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी, कटनी
6	ग्वालियर संभाग	28.04.2015	ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, गुना, अशोकनगर
7	रीवा संभाग	29.04.2015	रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनुपपूर, उमरिया, सिंगरौली

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(शैलबाला मार्टिन)

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-6 / वरीयता / 2015 / 480

भोपाल, दिनांक 15.04.2015

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, भोपाल।
02. संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल।
03. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश की ओर भेज कर लेख है कि अपने अधिनस्थ जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को तालिका में दिये गये दिनांक को संबंधित स्थापना लिपिक के साथ समस्त अभिलेखों एवं प्रमाणित प्रतियों के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।
04. प्रभारी, एम.आई.एस. डिवीजन की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
05. स्टॉक फाईल।

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

बेटी बचाओ – बेटी है तो कल है

चिकित्सा अधिकारियों की वरीयता सूची में नाम जोड़ने का प्रपत्र

S.No.	NAME	SEX M/F	CASTE	DOB	PG QUALIFICATION	PG YEAR	HOME_ DISTRICT	DOJ_SERV	PSC Year	PSC NUMBER	CONFIRM DATE	Present Pay Scale	DISTRICT OF POSTING	PLACE OF POSTING	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला (म.प्र.)